

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 63/2014 अपील (राजस्व)

सुश्री सुरभी पुत्री श्री मनोहरलाल तलेसरा, जरिये संरक्षक श्रीमती ललिता तलेसरा निवासी पानेरियो की मादड़ी, उदयपुर (राज.)

— अपीलान्त

बनाम

1. श्री नाना पिता श्री वेणा मीणा, निवासी टेकरी मैन रोड़, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार गिर्वा दिनांक 12.08.2013

निरस्त करने इन्तकाल संख्या 122 मौजा मानपुरा, पंचायत सर्कल

चांसदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

- उपस्थित :
1. श्री हीरालाल कटारिया, अधिवक्ता अपीलान्तगण
 2. श्री कमलेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षीगण
 3. श्री मनोज कुमार पँवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:—11.05.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा मौजा मानपुरा में स्थित आराजी संख्या 96 व 99 रकबा 0.2500 हैक्टर अर्थात् 2500 वर्गमीटर भूमि के खाता रद्दोबदल बाबत् जो उपरोक्त इन्तकाल संख्या 122 खोले जाकर वास्ते स्वीकृति नायब तहसीलदार के प्रस्तुत किये गये थे वो कृषि भूमि से संबंधित नहीं होकर संपरिवर्तन आबादी भूमि से संबंधित थे तथा यह हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.12 के बाबत् संपरिवर्तन आराजी संख्या 96 व 99 बहक अपीलान्त होकर खातेदार रेस्पोंडेंट श्री नाना पिता वेणा मीणा द्वारा

हस्तान्तरित की गई थी जो सर्वथा जायज एवं कानूनन वैध था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का एवं भू निरीक्षक की रिपोर्ट को भी अनदेखा करके उक्त अनुचित आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त के हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल पर आदेश बिना अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट को सूचना दिये पारित किया गया है जो नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध हैं। जबकि रेस्पोंडेंट इस रद्दोबदल से स्वयं पूर्ण रूप से सहमत है तथा उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी ना हैं। स्वयं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश में अंकित किया गया है कि भूमि संपरिवर्तित है तथा क्रेता अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा भी कायम हैं। फिर क्यों कर भूमि अनु. जनजाति की होने से इन्तकाल को निरस्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 43 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों एवं आबादी भूमि के प्रावधान एवं दोनों में अन्तर की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा उक्त आदेश पारित कर दिया गया है जो अनुचित एवं अवैध होने से निरस्त फरमाया जावे एवं दोनों ही इन्तकाल को स्वीकार फरमाकर माफिक विक्रय पत्र अपीलान्ट के नाम अलग से उक्त आराजी इन्द्राज करने का आदेश फरमाया जावे। उक्त इन्तकाल अस्वीकृत किये जाने बाबत अपीलान्ट को कभी भी कोई सूचना किसी के भी द्वारा नहीं दी जाने तथा सर्वप्रथम दिनांक 13.12.2013 को पटवारी हल्का से अपीलान्ट के मिलने तथा उक्त इन्तकाल की निरस्ती बाबत पारित किये गये आदेश की जानकारी होने पर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाने एवं दिनांक 14.12.13 को आदेश की नकल प्राप्त होने से हुई हैं। जिससे जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.08.13 निरस्त कराया जावे तथा उक्त दोनों ही इन्तकाल संख्या 122 मौजा मानपुरा स्वीकार फरमाकर इन्हे माफिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त भूमि रेस्पोंडेंट के स्थान पर हम अपीलान्ट के नाम पर इन्द्राज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील मेमो के साथ में प्रार्थना पत्र 5 लिमिटेशन एक्ट मियाद कण्डोन का पेश किया गया। जिसमें सर्वप्रथम जानकारी 13.12.13 को पटवारी हल्का से

होना बताया गया। अतः जानकारी के दिन से दिनांक 12.08.13 से लगायत दिनांक 14.12.13 की जो डिले हुई उसे कण्डोन कराने का आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंटगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जानी हेतु हम रेस्पोंडेंट पूर्ण रूप से सहमत हैं। इसे स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कराया जावे तथा पटवारी हल्का द्वारा खोला गया इन्तकाल स्वीकार कर उक्त भूमि अपीलान्त/प्रार्थी के खाते दर्ज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा मानपुरा की आराजी नम्बर 96 व 99 रकबा 0.2500 हैक्टर अर्थात् 2500 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन आबादी भूमि का सुश्री सुरभी पुत्री मनोहरलाल अवयस्क जरिये संरक्षक माता ललिता तलेसरा द्वारा खातेदार नाना से क्रय कर ली गई। जिसमें खाता रद्दोबदल से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी ना हैं। भूमि संपरिवर्तित है तथा क्रेता अपीलान्त का भूमि पर कब्जा भी कायम हैं। फिर क्यों कर भूमि अनुसूचित जनजाती की होने से इन्तकाल को निरस्त किया गया। अतः संपरिवर्तित भूमि को पंजीयन विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्त के नाम दर्ज किये जाने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बारापाल को प्रदान किये जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली के संलग्न अपीलीय नामान्तरकरण के अवलोकन पर जाहीर आया कि अपीलान्त द्वारा अपील नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 12.08.13 की की गई हैं। जो पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण है वह नामान्तरकरण संख्या 147 हैं। जिसमें नाना पिता वेणा मीणा द्वारा अपनी आराजी संख्या 96 व 99 को संपरिवर्तित करवाया गया हैं। संपरिवर्तन हेतु जो नामान्तरकरण खोला गया है उसकी प्रमाणित प्रति हैं। जो अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा कब्जे के आधार पर खारीज कर दिया गया। जबकि ऐसा प्रतित होता है कि अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 122 जो कि रेस्पोंडेंट की भूमि आपस में जो बँटवाड़ा हुआ होगा सम्भवतः बँटवाड़े के नामान्तरकरण की संख्या हैं। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि जब संपरिवर्तित भूमि ही रेस्पोंडेंट के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तो सीधे ही किस आधार पर अपीलान्त के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जा सकती हैं।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार बारापाल का नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 12.08.13 को खारीज किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संपरिवर्तन का आदेश के अनुरूप बाद जॉच मौके व रेकार्ड के नियमानुसार संपरिवर्तन का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ नायब तहसीलदार बारापाल को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर